



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062021-227545
CG-DL-E-12062021-227545

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2103]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 2021/ज्येष्ठ 21, 1943

No. 2103]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2021/ JYAISTHA 21, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2021

का.आ. 2263(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -333A के कि.मी. 199 के भू-खंड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से संबंधित उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि भू-खंड के सम्बन्ध में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-333A के कि.मी 199 के भू-खंड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , बांका	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH333A के कि.मी. 199 से 199 तक	बिहार	बांका	बाराहाट	1 पंजवारा

[फा. सं. RW/PAT/NH-333A/KM-199/CHIR RIVER/LA/2021]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2021

S.O. 2263(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for the stretch of land in Km. 199 of the NH-333A for construction of bridge (widening /four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of BIHAR .

SCHEDULE

Land acquisition on NH-333A of the stretch of land in Km. 199 for construction of bridge in the State of Bihar.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Land Acquisition Officer, Banka	199KM To 199KM	BIHAR	BANKA	Barahat	1 Panjwara

[F. No. RW/PAT/NH-333A/KM-199/CHIR RIVER/LA/2021]

RAJESH GUPTA, Director